

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

--: अधिसूचना ::--

सं० सं०-17/विविध 01-157/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सवर्ग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षक को अगले आदेश तक के लिए स्तम्भ-04 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग/वर्तमान पदस्थापन संस्थान का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	डा० राजीव कुमार सिंह, प्राध्यापक	फिजियोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

2. यह अधिसूचना दिनांक-01.02.2026 से प्रभावी होगी।

3. अधिसूचित अधीक्षक को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-9262/वि०, दिनांक-01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के अंतर्गत संबंधित संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

4. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सक को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

5. अधीक्षक के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।

6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक सशोधित समझे जायेंगे।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हं०/-

(हिमांशु शर्मा)

सरकार के विशेष सचिव।

सं० सं०- 17/विविध 01-157/2025-121(17) पटना, दिनांक :-29/01/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 07, 08, 09, एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/26
सरकार के विशेष सचिव।